राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1705/2008

महेश चन्द गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.09.2008
आदेश की दिनांक : 29.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि उसे 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 22.08.2005 (अनुलगनक–2) के द्वारा दिनांक 01.03.1992 से दिया गया है उक्त लाभ दिनांक 25.01.1992 से दिया जावे और 27 वर्षीय लाभ दिनांक 20.09.1973 से सेवा अवधि की गणना कर स्वीकृत किया जावे।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 03.09.1973 को भूमि एवं भवन कर विभाग में निरीक्षक–ाा के पद पर हुई थी और उसने दिनांक 20.09.1973 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था। तत्पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 25.06.1982 के द्वारा भूमि एवं भवन कर विभाग से अधिशेष घोषित कर आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक के पद पर अर्न्तलियन किया गया। अपीलार्थी का वर्ष 1989 में आबकारी निरीक्षक ग्रेड–ा के पद पर पदोन्नति की गई। अपीलार्थी को दिनांक 25.01.1992 के परिपत्र के आधार पर 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.03.1992 से दिया गया है, जबकि यह उक्त लाभ सेवा अवधि की गणना दिनांक 20.09.1973 से करने के आधार पर दिनांक 25.01.1992 से प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी के साथ नियुक्त अन्य कर्मचारी श्री सुमेरसिंह जाखड, श्री दिनेश चन्द व श्री भंवरलाल की प्रथम नियुक्ति उनकी प्रथम ज्वाईनिंग दिनांक 20.9.1973 से दर्शायी गई, जबकि अपीलार्थी की अनुचित रुप से दिनांक 01.03.1974 दर्शायी गई है, जो अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी ने 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिए विभाग के समक्ष एक प्रतिवेदन दिनांक 28.12.2007 को प्रस्तुत किया, जो अनुलग्नक–4 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी के प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा दिनांक 21.04.2008 चुनौती आदेश अनुलग्नक–5 के द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि श्री गुप्ता वर्तमान में आबकारी राज्य सेवा के पद पर कार्यरत होकर आगामी पदोन्नति जिला आबकारी अधिकरी के पद पर होती है इसलिए उन्हें 27 वर्षीय

चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना गया है। इस संबंध में अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति तिथि 20.09.1973 से सेवा की गणना की जाती है तो दिनांक 20.09.2000 को ही 27 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाती है, तब तक अपीलार्थी सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नत नहीं हुआ था। अपीलार्थी सहायक आबकारी अधिकरी के पद पर वर्ष 2002–03 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया था, जो पदोन्नति आदेश दिनांक 18.8.2004 अनुलग्नक–6 से स्पष्ट है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि यदि विभाग द्वारा दी गई नियुक्ति तिथि 01.03.1974 से भी सेवा की गणना की जाती है, तो दिनांक 01.03.2001 को अपीलार्थी की 27 वर्षीय सेवा पूर्ण हो जाती है। स्वीकार्य रूप से उक्त दिनांक तक भी अपीलार्थी की पदोन्नति सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर नहीं हुई थी। अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2002–03 की रिक्तियों के विरूद्ध की गई थी अर्थात् अपीलार्थी की पदोन्नति दिनांक 02.04.2002 से मानी जायेगी। उक्त दिनांक से पूर्व ही अपीलार्थी ने दिनांक 01.03.2001 को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी इसलिए विभाग द्वारा 27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान नहीं दिए जाने का जो आधार लिया है वह उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के समान कार्यरत अन्य कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही समस्त सेवा सम्बन्धी लाभ दिये है उसी के अनुसार अपनी प्रथम नियुक्ति आदेश की दिनांक 03.09.1973 की पालना में 20.9.1973 को कार्यभार ग्रहण किया उस तिथि से सेवा की गणना करवाकर 27 वर्षिय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है व एरियर राशि का लाभ मय 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने अनुतोष चाहा है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.09.2002 के अनुक्रम में आबकारी निरीक्षक, प्रथम श्रेणी के पदों पर विभागीय पदोन्नति हेतु हुई डी.पी.सी. वर्ष 1984–86 से 1998–99 तक के वर्षों की बैठक कार्यवाहियों का पुनरावलोकन कराने हेतु रिव्यू डी.पी.सी. की बैठक किये जाने के उपरान्त अपीलार्थी आबकारी निरीक्षक द्वितीय श्रेणी को आबकारी निरीक्षक प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 1989–90 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किया जाकर आदेश दिनांक 11.03.2003 जारी किए गये। अपीलार्थी की राज्य सेवा में नियमित नियुक्ति दिनांक 01.03.1974 ही होकर राज्य सरकार द्वारा नियमों में किये गये प्रावधान के अनुसार 9 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 25.01.1992 से तथा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 01.03.1992 से देय होता है लेकिन वर्ष 1989–90 में आबकारी निरीक्षक प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति दे देने के कारण प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाना नियमानुसार अपेक्षित नहीं होकर द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 01.03.1992 से स्वीकृत किया गया है जो पूर्णतया नियमानुसार हैं जहाँ तक अपीलार्थी की राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक 20.09.1973 माने जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि एस.बी.

सिविल रिट याचिका संख्या– 6496/2001 श्री सुमेरसिंह जाखड़ बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2001 के अनुसरण में मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2002 एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11.03.2002 तथा आदेश दिनांक 06.09.2002 के द्वारा तत्समय नगर भूमि एवं भवन कर विभाग से अधिशेष होकर आबकारी निरीक्षक द्वितीय श्रेणी के पदों पर समायोजित निरीक्षकों में से सर्व श्री सुमेरसिंह जाखड़, श्री भँवर लाल मालाकार एवं श्री दिनेश चन्द्र शर्मा के नामों का ही उल्लेख होकर राज्य सेवा में इनकी नियुक्ति दिनांक 20.09.1973 से माने जाने के निर्देश होने के कारण उनके अनुरूप अपीलार्थी व अन्य निरीक्षकों के नामों पर विचार करना प्रासंगिक नहीं था। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वर्णित न्यायिक निर्णय के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना में आबकारी निरीक्षक द्वितीय श्रेणी के पदों पर कार्यरत निरीक्षकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची (दिनांक 1–4–74 की स्थिति में) प्रत्यर्थी कार्यालय के आदेश दिनांक 20.05.2002 जारी कर अभ्यावेदन आमन्त्रित कर प्राप्त अभ्यावेदनों के परीक्षण उपरान्त अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 25.01.2003 जारी की गयी तथा इन्हीं आधारों पर अपीलार्थी को आबकारी निरीक्षक प्रथम श्रेणी (वर्ष 1989–90) एवं सहायक आबकारी अधिकारी (वर्ष 2002–03) दी गयी पदोन्नति स्वीकार करते हुए किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी गयी, ना ही इस मामले में कभी कोई आक्षेप ही प्रदर्शित किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा की गयी अपील भ्रामक तथ्यों पर प्रस्तुत किये जाने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है ।

प्रस्तुत अपील में राज्य कर्मचारियों को 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत करने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत चयनित वेतनमान उन्हीं कार्मिकों को देय है जो वेतन श्रृंखला 8000–276–13600 के वेतनमान से नीचे के वेतनमान में अराजपत्रित पद पर कार्यरत है तथा चयनित वेतनमान के रूप में उन्हें आगामी पदोन्नति पद का वेतनमान देने का प्रावधान है। उपरोक्त कारणों के रहते अपीलार्थी को सहायक आबकारी अधिकारी के पद का वेतनमान 2000–3000 दिनांक 01.03.1992 से स्वीकृत किया गया है, के सन्दर्भ में दिनांक 01.09.1996 से वेतन श्रृंखला 6500–200–10500 का वेतनमान प्राप्त कर लेने एवं आगामी पदोन्नति का पद जिला आबकारी अधिकारी (9000–300–14400) होने के कारण तत्समय 27 वर्षीय चयनित वेतनमान देय नहीं होने के कारण ही नियमानुसार स्वीकृत करना सम्भव नहीं था । यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी के तत्समय निम्नानुसार दण्डादेश/ वार्षिक गोपनीय कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी के प्रभाव होने से तृतीय चयनित वेतनमान की स्वीकृति संभव नहीं थी। इनका विवरण निम्नानुसार हैः–

(अ) सजा (दण्ड):–

(1) दण्डादेश दिनांक 20–12–94 से परिनिन्दा की सजा दी गयी ।

(2) दण्डादेश दिनांक 3–7–95 से परिनिन्दा की सजा दी गयी।

(3) दण्डादेश दिनांक 30–6–97 से एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

(ब) वर्ष 1992–93 एवं 1994–95 में वार्षिक गोपनीय कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में प्रतिकूल टिप्पणी का अंकित होना। अतः अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 01.03.1992 को स्वीकृत किया गया है। तृतीय चयनित वेतनमान 27 वर्ष की सेवा पर दिनांक 01.03.1999 को देय होता है परन्तु अपीलार्थी के विरूद्ध तत्समय जारी दण्डों एवं एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टियों के प्रभाव स्वरूप तृतीय चयनित वेतनमान उक्त तिथि को स्वीकृत करना संभव नहीं था। एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि एवं दण्डादेश की दशा में किसी भी कार्मिक को चयनित वेतनमान तब स्वीकृत किया जाता है जब वह पदोन्नति हेतु योग्य हो जाता है। चूंकि इस प्रकरण में अपीलार्थी की अगली पदोन्नति राज्य सेवा में हुई है तो उस दिवस में अपीलार्थी राज्य सेवा में चयनित होने से 27 वर्षीय चयनित वेतन स्वीकृति हेतु पात्र नहीं रह जाता है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 29.08.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

मनीष